संख्या– ९।९ /पचास–यु0क0–2019–43(विविध)/2014

प्रेषक,

फलेन्द्र पाल सिंह राठौर,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण , उ0प्र0,लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग : लखनऊ : दिनांक ०२ जुलाई, 2019

विषय– वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यक्तिगत श्रेणी के अन्तर्गत विवेकानन्द यूथ एवार्ड का आरम्भ किये जाने हेतु दिशा–निर्देशों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–78/चार–02/ यु0क0/2019, दिनांक 29 अप्रैल, 2019, पत्र संख्या–193/चार–23/ यु0क0/2017 (1), दिनांक 06 जून, 2019 एवं पत्र संख्या–254/चार–02/ यु0क0/2019, दिनांक 27 जून, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यक्तिगत श्रेणी के अन्तर्गत विवेकानन्द यूथ एवार्ड का आरम्भ किये जाने तथा मंगल दलों के कार्यकलापों एवं उपलब्धियों के आंकलन के लिए कार्यावधि का निर्धारण व विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों के लिए समय–सारिणी के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–4655/पचास– यु0क0–89–91–88, दिनांक 15 नवम्बर, 1989, शासनादेश संख्या–1731/पचास– यु0क0–2017–43 (विविध)/2014, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–1772/पचास– यु0क0–2017–43(विविध)/2014, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 में संशोधन करते हुए निम्न प्रावधान किये जाते है :–

(1) एवार्ड का उद्देश्य

(क) युवाओं(15–35 वर्ष की आयु के बीच) को प्रेरित करने के लिए जिससे वे राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।

(ख) युवाओं को प्रोत्साहित कर समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना तथा इस प्रकार एक अच्छे नागरिक के रूप में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार करना।

(2) एवार्ड का विवरण

(क) यह पुरस्कार युवाओं को विकास कार्यक्रमों के विभिन्न क्षेत्रों यथा–खेलकूद, सामाजिक वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, अल्पबचत, रक्तदान, नशामुक्ति, जल संरक्षण, पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना एवं संचालन, जैविक खेती, सौर उर्जा संयंत्र स्थापना, स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकीकरण, साक्षरता, आपदा प्रबन्धन, मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य, अनुसंधान, कला, संस्कृति और साहित्य, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा, सक्रिय नागरिकता, सामुदायिक सेवा, खेल और शैक्षिक उत्कृष्टता एवं स्मार्ट लर्निंग इत्यादि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों को विशिष्ट पहचान देने हेतु प्रदान किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या सामान्यतः 10 होगी।

(ग) व्यक्तियों को पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण–पत्र, स्वामी विवेकानन्द की एक प्रतिमा और रु0 50,000/– नकद शामिल होंगें।

(3) पात्रता की शर्तें

(क) सम्बन्धित युवा को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना अनिवार्य है।

(ख) वह 15–35 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए, जिसका निर्धारण वर्ष के 01 जनवरी को नामांकन के समय के अनुसार होगा।

(ग) उसके द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त क्षेत्रों में पहचान योग्य कार्य किया गया हो।

(घ) पुरस्कार जीवनकाल में एक बार प्रदान किया जाएगा।

(ङ) किसी सरकारी सेवा में अर्थात केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, स्कूल/कॉलेज आदि में कार्यरत व्यक्ति पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।

(4) चयन समिति

(क) विवेकानन्द यूथ एवार्ड हेतु मंगल दलों के चयन के लिए शासनादेश संख्या–681/पचास–यु0क0–2019–43(विविध)/2014, दिनांक 14 जून, 2019 में विभिन्न स्तरों पर उल्लिखित समितियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) सामान्य नियम

(क) युवा कल्याण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी पूर्व सूचना के बिना अपने विवेक से इस पुरस्कार में संशोधन करने के लिए सक्षम है।

(ख) विवेकानन्द यूथ एवार्ड (व्यक्तिगत श्रेणी) के लिए प्रत्येक ज़नपद से 01–01 प्रस्ताव मंगाया जायेगा।

(ग) महानिदेशालय पर गठित स्टेयरिंग कमेटी के द्वारा श्रेष्ठता क्रम में 15 प्रस्तावों का चयन करके शासन स्तर पर गठित समिति को प्रेषित किया जायेगा।

(घ) किसी भी विवाद के मामले में युवा कल्याण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय अन्तिम एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

(6) पुरस्कार राशि

विवेकानन्द यूथ एवार्ड के अन्तर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिए जाने हेतु व्यय होने वाली धनराशि का विवरण जब तक कि अन्यथा संशोधन न हो, निम्नवत है :–

प्रदेश में 10 युवाओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु रू0 50,000/– प्रति व्यक्ति की दर से प्रस्तावित धनराशि 10 X 50,000 स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र एवं अन्य आवश्यक व्यय =	रू.–5,00,000 रू. 1,00,000
योग–	रू0–6,00,000

–4–

3— विवेकानन्द यूथ एवार्ड दिए जाने हेतु (व्यक्तिगत श्रेणी सहित) विकास खण्ड, जनपद, महानिदेशालय एवं राज्य स्तरीय गठित कमेटियों द्वारा मंगल दलों के चयन हेतु समयसारिणी का निर्धारण निम्नवत होगा :—

क— विकासखण्ड स्तर

विकासखण्ड स्तरीय गठित समिति के द्वारा मंगल दलों हेतु निर्धारित कार्यो केआधार पर मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ एक युवक एवं एक महिला मंगल दल का चयन कर दिनांक 30 जून तक जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी।

ख— जिला स्तर

जनपद के समस्त विकासखण्डों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जनपद स्तरीय गठित समिति के द्वारा श्रेष्ठताक्रम का निर्धारण करते हुए दिनांक 31 अगस्त तक जिला स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड सर्वश्रेष्ठ चयनित मंगल दल को प्रदान करेगी और श्रेष्ठताक्रम में आने वाले एक युवक एवं एक महिला मंगल दल का चयन कर दिनांक 15 सितम्बर तक महानिदेशालय को प्रेषित करेगी।

ग— महानिदेशालय स्तर पर गठित स्टेयरिंग कमेटी

उक्त कमेटी जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 31 अक्टूबर तक श्रेष्ठताक्रम में 10 युवक एवं 10 महिला मंगल दलों का चयन कर प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित कमेटी को प्रस्ताव प्रेषित करेगी।

घ— शासन स्तर पर गठित कमेटी

शासन स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा महानिदेशालय स्तर की स्टेयरिंग कमेटी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में से श्रेष्ठताक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जाने हेतु 03 युवक एवं 03 महिला मंगल दलों को राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड दिए जाने हेतु 30 नवम्बर तक अन्तिम रूप से चयन किया जाएगा।

4— शासनादेश संख्या—4655/पचास— यु0क0—89—91—88, दिनांक 15 नवम्बर, 1989 के प्रस्तर—2 में किये गये आंशिक संशोधन के फलस्वरूप अब विवेकानन्द यूथ एवार्ड हेतु प्रथम पुरस्कार के साथ चल बैजयन्ती के स्थान पर राज्य स्तर पर विवेकानन्द यूथ एवार्ड दिए जाने हेतु चयनित प्रत्येक मंगल दल के लिए निर्धारित नकद धनराशि के साथ—साथ स्मृति चिन्ह दिया जायेगा।

5-- विवेकानन्द यूथ एवार्ड दिए जाने हेतु दलों के कार्यकलापों/उपलब्धियों का आंकलन वर्ष में दिनांक 01 अप्रैल से दिनांक 31 मार्च तक की कार्यावधि में किये गये कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में शेष प्रावधान समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों व निर्देशों के कम में पूर्व की भाँति यथावत रहेंगें।

7– उक्त पुरस्कारों के वितरण के सम्बन्ध में प्रस्तर–2(6) के अनुसार आवश्यक धनराशि का प्रावधान कराये जाने हेतु प्रस्ताव समय से उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनुसचिव।

संख्या–९।९ (1)/पचास–यु0क0–2019–43(विविध)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
2– समस्त उपनिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल विभाग,उत्तर प्रदेश,
3– समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,उत्तर प्रदेश,
4– गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनुसचिव।